दिनांक 14.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर Mudra Loan व Auto Loan फर्जी तरीके से लेकर Cyber Fraud करने वाले यूनियन बैंक आफ इंडिया के मैनेजर सहित गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 13—09—2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैक कर्मियों की आईडी अनाधिकृत तरीके से लागिन कर Mudra Loan व Auto loan निकालकर Cyber Fraud करने वाले यूनियन बैंक आफ इंडिया के मैनेजर सहित गिरोह के 04 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— गौरव सिंह पुत्र श्री कृष्ण लाल निवासी 7/581/4 नियर लेबर अड्डा चौराहा विकास नगर थाना विकास नगर लखनऊ। मूल पता— ग्रा0 खेरसा थाना विधनू जिला कानपुर नगर। उम्र—40 वर्ष, शिक्षा—बीटेक, एमबीए। (मैनेजर यूनियन बैंक आफ इंडिया मास्टरमाइंड)।

2— नावेद हसन पुत्र स्व0 सईद हसन निवासी 647/45 जानकीपुरम गार्डेन सहारा स्टेट गेट न0 2 के पास थाना जानकीपुरम लखनऊ। मूल पता— 463/10 ए 45 हाता मिर्जा अली खान हुसैनाबाद थाना ठाकुरगंजऊ। उम्र—42 वर्ष शिक्षा—इंटरमीटिएट।

3— अखिलेश तिवारी पुत्र स्व0 शशिभूषण तिवारी निवासी प्लाट न0 04 मानस विहार आलम नगर राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ। उम्र 37 वर्ष, शिक्षा इंटरमीडिएट।

4— इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 शंकर सिंह निवासी 441/339 नियर नीलकंठ हास्पिटल रस्तोगी नगर बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ। मूलपता ग्राम नंदौली थाना हसनगंज उन्नाव। उम्र—30 वर्ष, शिक्षा—बीए।

बरामदगी—

1— 05 अदद मोबाइल फोन।

2— 01 अदद डेक्सटाप (जिससे कूटरचित दस्तावेज तैयार किये जाते थे)

3— 01 अदद कूटरचित आधार कार्ड की छायाप्रति।

4— 02 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

5— 268 वर्क लोन प्रकिया से सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रति (कूटरचित व अन्य)

6— 01 अदद रिलायंस डिजिटल का बिलबाउचर।

7— 02 अदद चेकबुक।

8— 04 अदद चार पहिया वाहन (बीएमडब्लू एक्स1, सुजुकी बालेनो, सुजुकी फ्रोन्श, महिन्द्र सुपरो,)

9— 01 अदद प्रिंटर।

10— रू0 750/— नकद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः—</u> दिनांकः 13—09—2025 स्थानः आफिस न0—719 सातवीं मंजिल, न्यू हजरतगंज अपार्टमेंट ओमेक्स सिटी थाना सुशात गोल्फ सिटी लखनऊ। समयः 20:50 बजे ।

साइबर क्राइम की रोकथाम व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि राज बहादुर गुरुंग, निवासी इनकम टैक्स कॉलोनी, वजीर हसन रोड, थाना हजरतगंज लखनऊ, को व्यवसाय हेतु 2 से 3 लाख रू0 की आवष्यकता थी जिसके लिए उसने अपने जानने वाले इंद्रजीत सिंह से बात किया था। इंद्रजीत सिंह ने बताया था कि उसका मित्र नावेद हसन, यूनियन बैंक, आफ इंडिया शाखा जानकीपुरम ब्रांच के मैनेजर गौरव सिंह से परिचित है और वह लोन दिलवाने का काम करता है। इंद्रजीत के कहने पर राज बहादुर गुरुंग ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया था। लगभग 15 दिन बाद इंद्रजीत सिंह राजबहादुर गुरंग को यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा जानकीपुरम मैनेजर गौरव सिंह के केबिन में ले गया। वहां पहले से एक फाइल रखी हुई थी जिसमें अंग्रेजी में टाइप किये हुए कई कागजात पूर्व से रखे थे। उन लोगों ने राज बहादुर गुरुंग को अपने प्रभाव में लेकर उन कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिया था। अगले दिन फिर इंद्रजीत ने बताया कि कुछ और सिग्नेचर बाकी हैं, जिसके लिए वह राज बहादुर गुरुंग को दोबारा बैंक ले गया। इस बार गौरव सिंह व नावेद हसन दोनो मिले और लगभग 15—20 जगह फिर से साइन करवाए गए। नावेद हसन ने राज बहादुर गुरुंग से कहा कि तुम्हारा काम जल्द ही हो जाएगा पर कई महीने होने पर राज बहादुर गुरुंग ने पूछा तो नावेद ने मना कर दिया कि तम्हारा लोन नही हुआ। लगभग 5—6 महीने बाद राज बहादुर गुरुंग के मोबाइल पर ईएमआई ड्यू का मैसेज आया। तब राज बहादुर गुरुंग ने अपना सिविल स्कोर निकलवाया तो पता चला कि उसके नाम से दो लोन स्वीकृत हुए है। जिसमें से एक मुद्रा लोन 9,80,000 दिनांक 28—04—2023 को और दूसरा कार लोन रू 15,00,000 का दिनांक 10—05—2023 को कुल 24,80,000/रू यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा जानकीपुरम से किए गए हैं।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 13–09–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा आफिस न0–719 सातवीं मंजिल, न्यू हजरतगंज अपार्टमेंट ओमेक्स सिटी थाना शुसांत गोल्फ सिटी लखनऊ से उपरोक्त चारो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त नावेद हसन ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2011 में मैंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। साल 2015 में मेरी दोस्ती आमिर एहसन से हुई। आमिर एहसन 2015 से मेरी "Hind Transport Company" ट्रांसपोर्ट नगर में साथ काम करने लगा। "Hind Transport Company" नाम की फर्म को पंजीकृत कराने में मैने कूटरचित आधार कार्ड का प्रयोग किया है। जिसमें वास्तविक नाम व पिता के नाम के स्थान पर मो0 अरसद खान पुत्र अनवर खान लिखाकर कर तैयार कराया था ताकि मै फर्जीवाडा व ठगी करने/फर्जी बैंक लोन कराने में कभी पकड़ा न जा सकू। वर्ष 2015 में मैंने State Bank of india गोमती नगर से फर्जी तरीके से लोन लिया था। जिस कारण वर्ष 2017 में तत्कालीन बैंक मैनेजर ने गोमती नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जिसमे मेरे साथ मेरे गैंग के सदस्य अखिलेश तिवारी का भी नाम था। इस केस में 2021 में मुझे जेल जाना पड़ा था। वर्ष 2017 से अब तक हम लोगों द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज बनाकर विभिन्न बैंकों से लगभग 20 गाडियां फाइनेंस करायी गयी हैं। वर्ष 2021 में मेरे मित्र आमिर एहसन के माध्यम से गौरव सिह ब्राच मैनेजर यूनियन बैंक आफ इंडिया से मेरी जान पहचान हो गयी। तब से गौरव सिंह के माध्यम से मैने लगभग 20 लोगों के नाम से मुद्रा लोन कराया है। इन लोन को करने के लिए गौरव सिंह द्वारा दस्तावेजों के प्रारूप उपलब्ध कराये गये थे। कूटरचित दस्तावेज बनाने का काम मै स्वयं, आमिर एहसन व अखिलेश तिवारी द्वारा किया जाता था। इन्द्रजीत फील्ड से कस्टमर लाता था व इन्द्रजीत की फोटो दूसरे लोगों के दस्तावेजों पर लगाकर लोन लिया जाता था। इन्द्रजीत सिंह ब्रांच में जाकर जिसके नाम के दस्तावेज होते थे उनके नाम के हस्ताक्षर बना देता था। फर्जी लोन से जो रूपये आते थे उनको हम लोग आपस में बांट लेते थे। हम लोगों द्वारा गौरव सिंह के अतिरिक्त अन्य कई बैंक मैनेजरों के साथ मिलकर भी कई लोन फर्जी तरीके से कराये गये हैं। हमारे द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कई फर्मे बनायी गयी हैं, जिनमें लोन का पैसा आता है।

अभियुक्त नावेद के बयान का समर्थन करते हुए अभि0 गौरव सिंह द्वारा बताया गया कि मै जुलाई 2021 में यूनियन बैक आफ इंडिया की शाखा जानकीपुरम लखनऊ में ब्रांच हेड बनकर आया था। यहां मेरी पहचान नावेद हसन उपरोक्त से हुई और नावेद ने कहा कि अगर आप साथ दे तो हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते है पैसे के लालच में पडकर मैने, नावेद हसन, अखिलेश तिवारी, इन्द्रजीत सिंह व आमिर एहसन के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से लोगों के नाम पर

लोन स्वीकृत कर धन हडप लेने का एक संगठित गिरोह बना लिया। जिसमें इंद्रजीत सिंह द्वारा लोन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ढूंढ कर उनसे, लोन से सम्बन्धित प्रपत्र लेकर नावेद हसन व आमिर एहसन से मिलवाता था यह लोग उस व्यक्ति को लेकर मेरे पास आते थे। मै लोन स्वीकृत करने से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्रों पर आसानी से हस्ताक्षर करवा लेता था। हम लोग व्यक्तियों को यह विष्वास दिला देते थे कि आप जाइये आपका लोन स्वीकृत होकर आपके खाते में पंहुच जायेगा। जबकि वास्तव में स्वीकृत लोन के पैसे उस व्यक्ति के खाते में न जाकर हम लोगों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बनायी गयी फर्जी फर्मों के खातों चला जाता था। इन खातों को आपरेट करने का काम नावेद हसन, आमिर एहसन व मै भी करता था। हम लोग चार प्रकार का लोन करते थे। जिनमे मुद्रा लोन, आटो लोन, बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल लोन करते थे। इन लोन का रूपया लोन के अनुसार फर्जी फर्मों के खातों में व जिसका लोन होता था उससे बैक खाते में जाता था। जिसके नाम से लोन होता था उससे पूर्व में ही विड्राल फार्म/बाउचर पर लोन प्रक्रिया के दौरान ही हस्ताक्षर कराकर रख लिया जाता था। लोन का रूपया खाते में आने पर मै उसे कैश में निकाल कर गैग के सदस्यों को बाट देता था। मेरे द्वारा इस तरह के कई लोन किये गये हैं। फर्जी तरीके से लोन पास करने के लिए मै अपने सहायक मैनेजरों की आईडी पासवर्ड का गलत तरीके से एक्सेस करके रिपोर्ट लगायी है।

अखिलेश तिवारी व इन्द्रजीत सिंह द्वारा नावेद व गौरव सिंह के बयान का समर्थन करते हुए बताया गया कि अखिलेश तिवारी व नावेद पर गोमती नगर थाने में 2017 में व थाना गुडम्बा में अगस्त 2025 को लोन फ्राड के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हैं जिसमें आमिर एहसन का भी नाम है। हम लोगों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर कई फर्मे बनायी गयी है जिनके माध्यम से लोन के लिए कोटेषन दिया जाता था व इन्ही फर्मो के नाम से बैंक खाते खोले गये हैं। उन बैंक खातों में फर्जी तरीके से पास किये गये लोन का रूपया आता है। लोन लेने के लिए जो फार्म भरे जाते थे उनमें हम लोग अपने मोबाइल नम्बर व ईमेल आईडी लिख देते थे। जिससे ओटीपी हम लोगों को मिल जाये और जिसके नाम से लोन हो रहा है उसको जानकारी न हो सके।

अब तक की जाच/अभिसूचना संकलन से प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर पता चला है कि इस गिरोह द्वारा फर्जी तरीके से कराये गये लोनों से करोडों रूपयों अर्जित किये गये हैं। जिसके सम्बन्ध मे जांच की जा रही है। अभियुक्तों द्वारा बताये गये बैक खाते, वालेट की जानकारी/परीक्षण व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना साइबर क्राईम, लखनऊ में मु0अ0सं0 139/2025 धारा– 34/419/420/465/467 /468/471/ भा0द0वि0 व 66सी, 66डी आईटी एक्ट में पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। आवष्यक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद मेरठ/थाना भावनपुर/थाना परीक्षितगढ़/थाना जानी

- **घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 45 हजार रूपये नगद**
- **लूट के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2025 को थाना भावनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छोईया पुलिया स्याल रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–साहिल 2–अलीशान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया एवं चार अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी हेतु सूचना दी गयी, जिसके क्रम में थाना परीक्षितगढ़ पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 3–सैफुल्ला घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 4–अजीम सहित गिरफ्तार किया गया एवं थाना जानी पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 5–कैफ उर्फ नन्हे को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 45 हजार रूपये नगद, लूट के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06/07.09.2025 को थाना भावनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भावनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना भावनपुर, थाना परीक्षितगढ़, थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल निवासी ग्राम स्याल थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

2–अलीशान निवासी अहमदनगर गली नं0–3 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

3–सैफुल्ला निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–अजीम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

5–कैफ उर्फ नन्हे निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूट के 45 हजार रूपये नगद।

2–लूट के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना ताजगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 73 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13/14.09.2025 को थाना ताजगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढी देवरी पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आरिफ 2–चाहत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के माल बिक्री के 73 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.09.2025 को थाना ताजगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध जनपद

अलीगढ़, कमिश्नरेट आगरा व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 24 अभियोग एवं अभियुक्त चाहत के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आरिफ निवासी कासिम नगर लड़िया थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।

2–चाहत निवासी बाबरी मण्डी थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट के माल बिक्री के 73 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद इटावा/थाना भरथना

- **घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13/14.09.2025 को थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुरैया पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–राजा 2–रंजीत प्रताप को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 10 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.08.2025 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भरथना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना भरथना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजा निवासी शान्ति नगर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

2–रंजीत प्रताप निवासी बंशीगौरा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद हाथरस/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 14 मोटर साइकिल व 06 मोटर साइकिल के इंजन, चेचिंस व अन्य पार्ट्स आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.09.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नविपुर बम्बे के पास से 02 अभियुक्तों 1–मुजाहिद 2–करन उर्फ छोटे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 मोटर साइकिल व 06 मोटर साइकिल के इंजन, चेचिंस व अन्य पार्ट्स आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त करन उर्फ छोटे शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुजाहिद निवासी सराय बरला थाना बरला जनपद अलीगढ़।

2–करन उर्फ छोटे निवासी सिकन्दरपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 14 मोटर साइकिल व 06 मोटर साइकिल के इंजन, चेचिंस व अन्य पार्ट्स आदि।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद फतेहगढ़/थाना कमालगंज

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **08 जीवित, 15 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2025 को थाना कमालगंज व थाना जहानगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नारायणपुर गढिया गंगाइच के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त राकेश उर्फ मुन्नू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित, 15 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कमालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राकेश उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम नारायणपुर गढिया गंगाइच थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—08 जीवित, 15 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 72 लाख रूपये कीमत के 600 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **05 मोबाइल फोन**
- **01 कार, 01 ट्रक बरामद**

दिनांक 13.09.2025 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सन्तजनू के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–मल्लाराम 2–दीन दयाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 72 लाख रूपये कीमत के 600 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 05 मोबाइल फोन, 01 कार, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मल्लाराम निवासी रानी गांव थाना बाडमेर सदर जनपद बाडमेर राजस्थान।

2–दीन दयाल निवासी रानी गांव थाना बाडमेर सदर जनपद बाडमेर राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 72 लाख रूपये कीमत के 600 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–05 मोबाइल फोन।

3–01 कार, 01 ट्रक।

जनपद संतकबीरनगर/थाना को0 खलीलाबाद

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **151 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 स्कार्पियो, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2025 को थाना को0खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोनिया पुल के पास से 05 अभियुक्तों 1–मुमताज अहमद 2–लाखन

लाल उर्फ लखन 3–निजामुद्दीन उर्फ सोम्मन 4–प्रदीप 5–अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 151 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 स्कार्पियो, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुमताज अहमद निवासी छपिया छितौना थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

2–लाखन लाल उर्फ लखन निवासी डारीडीहा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

3–निजामुद्दीन उर्फ सोम्मन निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

4–प्रदीप निवासी कुर्थिया थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

5–अभिषेक निवासी गोदी थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–151 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 स्कार्पियो, 01 पिकअप वाहन आदि।

———————